भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 522

उत्तर देने की तारीख : 25.07.2024

लघु उत्पादों का निर्यात

522. श्री ओमप्रकाश भूपालसिंह उर्फ पवन राजेनिंबालकर:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में लघु उत्पादों के निर्यात में वृद्धि करने की अत्यधिक संभावना/क्षमता है;

(ख) यदि हां, तो क्या देश में छोटे उत्पादों का विनिर्माण किया जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी उत्पाद/राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या छोटे उत्पादों की मांग दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या मंत्रालय ने लघु उद्योनों को बढ़ावा देने के मुद्दे को राज्य सरकारों के साथ उठाया है;

(ड़) यदि हां, तो इस पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है; और

(च) लघु उत्पादों/उद्योगों को सुदृण करने के लिए सरकार द्वारा प्रस्तावित कार्य योजना का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री

(श्री जीतन राम मांझी)

(क) से (ग): एमएसएमई क्षेत्र का देश में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी), रोजगार सृजन, विनिर्माण उत्पादन और निर्यात में महत्वपूर्ण योगदान है। यह क्षेत्र लघु उत्पादों सहित विभिन्न प्रकार के उत्पादों का विनिर्माण कर रहा है।

उद्यम पंजीकरण पोर्टल और उद्यम असिस्ट पोर्टल (यूएपी) के अनुसार एमएसएमई इकाइयों का उत्पाद/क्षेत्र-वार विवरण और राज्य-वार विवरण क्रमशः **अनुबंध-1** और **अनुबंध-2** पर दिया गया है।

एमएसएमई क्षेत्र से निर्यात में वृद्धि करने के लिए, एमएसएमई मंत्रालय अंतर्राष्ट्रीय सहयोग (आईसी) स्कीम का कार्यान्वयन कर रहा है, जिसके तहत केंद्रीय/राज्य सरकार के पात्र संगठनों और उद्योग संघों को विदेशों में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों, मेलों और क्रेता-विक्रेता बैठकों के आयोजन/उनमें भाग लेने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने तथा प्रौद्योगिकी उन्नयन, आधुनिकीकरण, संयुक्त उपक्रम आदि के लक्ष्य के साथ भारत में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, सेमिनार तथा कार्यशालाओं के आयोजन के लिए प्रतिपूर्ति के आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त, जून, 2022 में शुरू की गई आईसी स्कीम के नवीन घटक नामत् पहली बार निर्यात करने वाले निर्यातकों का क्षमता निर्माण (सीबीएफटीई) के तहत नए सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) निर्यातकों को ईपीसी के साथ पंजीकरण-सह-सदस्यता प्रमाणन (आरसीएमसी), निर्यात बीमा प्रीमियम तथा निर्यात हेतु परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन पर वहन की गई लागत की प्रतिपूर्ति की जाती है।

एमएसएमई मंत्रालय ने सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) को अपेक्षित मार्गदर्शन और हैंडहोल्डिंग सहायता प्रदान करने के लक्ष्य के साथ पूरे देश में 60 निर्यात सुविधा केंद्रों (ईएफसी) की स्थापना की है।

(घ) से (च): केंद्रीय सरकार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के समग्र विकास और संवर्धन के लिए विभिन्न स्कीमों, कार्यक्रमों और नीतिगत पहलों के माध्यम से राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों के प्रयासों में पूरक सहायता प्रदान करती है। इन स्कीमों/कार्यक्रमों में एमएसएमई चैंपियंस स्कीम, सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई), प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), सूक्ष्म और लघु उद्यम-क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी), एमएसएमई के कार्यनिष्पादन में संवृद्धि और गतिवर्धन (रैम्प) आदि शामिल हैं।

सरकार ने एमएसएमई क्षेत्र की सहायता के लिए कई पहलें शुरू की हैं। इनमें से कुछ पहलें निम्नानुसार हैं:

i. क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट के माध्यम से विभिन्न श्रेणी के ऋण के लिए 85% तक के गारंटी कवरेज के साथ एमएसई को 500 लाख रुपए (01.04.23 से प्रभावी) की सीमा तक कोलेटरल मुक्त ऋण।
ii. आत्म निर्भर भारत फंड के माध्यम से 50,000 करोड़ रुपए का इक्विटी समावेशन। इस स्कीम में भारत सरकार से 10,000 करोड़ रुपए के कॉर्पस के लिए प्रावधान है।
iii. एमएसएमई के वर्गीकरण के लिए नया संशोधित मानदंड।
iv. व्यवसाय की सुगमता के लिए "उद्यम पंजीकरण पोर्टल" के माध्यम से एमएसएमई का पंजीकरण।
v. 200 करोड़ रुपए तक की खरीद के लिए कोई वैश्विक निविदा नहीं होगी।
vi. दिनांक 02.07.2021 से खुदरा और थोक व्यापारों का एमएसएमई के रूप में समावेशन।
vii. एमएसएमई की स्थिति में उर्ध्वगामी परिवर्तन की स्थिति में 3 वर्षों के लिए गैर-कर का लाभ प्रदान किया गया है।
viii. अगले 5 वर्षों में 6,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ एमएसएमई के कार्यनिष्पादन में संवृद्धि और गतिवर्धन (रैम्प) कार्यक्रम की शुरुआत की गई है।
ix. श्रम और रोजगार मंत्रालय के राष्ट्रीय कैरियर सेवा (एनसीएस) और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के स्किल इंडिया डिजिटल के साथ उद्यम पंजीकरण पोर्टल का एकीकरण। पंजीकृत एमएसएमई को प्रशिक्षित श्रमशक्ति और उनकी क्षमता निर्माण तक पहुंचने के लिए सक्षम बनाया गया है।
x. विवाद से विश्वास-I के तहत, कटौती की गई कार्य निष्पादन सुरक्षा, निविदा सुरक्षा और नुकसानी की प्रतिपूर्ति का 95% वापस करके राहत प्रदान की गई है। अनुबंधों की अनुपालना में चूक होने के कारण प्रतिबंधित एमएसएमई को भी राहत प्रदान की गई है।
xi. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को दिए जाने वाले ऋण (पीएसएल) के तहत दिए जाने वाले लाभों का फायदा प्राप्त करने के लिए अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों (आईएमई) को औपचारिक दायरे में लाने के लिए उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म (यूएपी) की शुरुआत की गई है।.
xii. 18 व्यापारों में कार्यरत परम्परागत कारीगरों और शिल्पकारों को आद्योपांत समग्र लाभ प्रदान करने के लिए दिनांक 17.09.2023 को 'पीएम विश्वकर्मा' स्कीम की शुरुआत की गई है।

******

अनुबंध-1

दिनांक 01/07/2020 से 23/07/2024 तक उद्यम और यूएपी के तहत पंजीकृत विनिर्माणकारी एमएसएमई की एनआईसीसी दो डिजिट-वार कुल संख्या

क्र.सं.	कोड	विवरण	उद्यम	यूएपी	कुल
1	01	फसल और पशु उत्पादन, शिकार और संबंधित सेवा गतिविधियां	4,50,104	4,14,157	**8,64,261**
2	05	खनन और उत्खनन	37,787	11,604	**49,391**
3	06	क्रुड पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस निष्कर्षण	12,064	934	**12,998**
4	07	धातु अयस्कों का खनन	40,686	6,975	**47,661**
5	08	अन्य खनन और उत्खनन	2,01,368	4,723	**2,06,091**
6	09	खनन सहायता सेवा गतिविधियां	36,770	-	**36,770**
7	10	खाद्य उत्पाद विनिर्माण	22,33,252	2,57,930	**24,91,182**
8	11	पेय उत्पादों का विनिर्माण	1,05,899	1,943	**1,07,842**
9	12	तंबाकू उत्पादों का विनिर्माण	38,681	684	**39,365**
10	13	वस्त्र विनिर्माण	10,60,761	2,93,159	**13,53,920**
11	14	वियरिंग अपरेल का विनिर्माण	9,00,873	4,63,528	**13,64,401**
12	15	चर्म और संबंधित उत्पादों का विनिर्माण	1,72,297	83,632	**2,55,929**
13	16	लकड़ी और लकड़ी से बने उत्पादों तथा कॉर्क का निर्माण; भूसे से बनी सामग्री का विनिर्माण	3,22,481	86,637	**4,09,118**
14	17	कागज और कागज उत्पादों का विनिर्माण	2,10,710	5,984	**2,16,694**
15	18	प्रिंटिंग और प्रडक्शन ऑफ रिकॉर्डेड मीडिया	1,79,810	-	**1,79,810**
16	19	कोक और रिफाइंड पेट्रोलियम उत्पादों का विनिर्माण	30,700	3,416	**34,116**
17	20	रसायनों और रसायनीय उत्पादों का विनिर्माण	3,03,554	99,985	**4,03,539**
18	21	फार्मास्यूटिकल्स, औषधीय रसायन और वनस्पति उत्पादों का विनिर्माण	1,16,963	1,650	**1,18,613**
19	22	रबर और प्लास्टिक उत्पादों का विनिर्माण	2,62,638	37,949	**3,00,587**
20	23	अन्य गैर-धात्विक खनिज उत्पादों का विनिर्माण	3,14,009	70,479	**3,84,488**
21	24	मूल धातुओं का निर्माण	2,52,917	7,329	**2,60,246**
22	25	मशीनरी और उपकरणों को छोड़कर गढ़े हुए धातु उत्पादों का निर्माण	4,35,265	91,697	**5,26,962**
23	26	कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक और ऑप्टिकल उत्पादों का निर्माण	1,61,900	1,687	**1,63,587**
24	27	विद्युत उपकरणों का निर्माण	2,69,344	8,019	**2,77,363**
25	28	मशीनरी और उपकरणों का निर्माण, एन.ई.सी	3,53,660	29,831	**3,83,491**

26	29	मोटर वाहनों, ट्रेलरों और अर्ध-ट्रेलरों का निर्माण	1,01,979	3,363	**1,05,342**
27	30	अन्य परिवहन उपकरणों का निर्माण	72,846	5,168	**78,014**
28	31	फर्नीचर का निर्माण	2,91,461	2,26,498	**5,17,959**
29	32	अन्य विनिर्माण	10,87,765	2,04,961	**12,92,726**
30	33	मशीनरी और उपकरणों की मरम्मत और स्थापना	3,94,087	-	**3,94,087**
31	35	बिजली, गैस, भाप और एयर कंडीशनिंग आपूर्ति	78,518	1,273	**79,791**
32	36	जल संग्रह, उपचार और आपूर्ति	49,663	1,152	**50,815**
33	37	सीवरेज	18,111	1,310	**19,421**
34	38	अपशिष्ट संग्रह, उपचार और निपटान गतिविधियाँ;	42,145	1,362	**43,507**
35	39	उपचार गतिविधियाँ और अन्य अपशिष्ट प्रबंधन सेवाएँ	8,887	5	**8,892**
36	41	भवन का निर्माण	6,67,040	3,12,912	**9,79,952**
37	42	सिविल इंजीनियरिंग	3,92,820	9,201	**4,02,021**
38	43	विशेष निर्माण गतिविधियाँ	5,35,590	92	**5,35,682**
		कुल:-	**1,22,45,405**	**2751229**	**1,49,96,634**

रिपोर्ट की तारीख:- 23/07/2024 अपराह्न 01:00 बजे

नोट:- एमएसएमई की कुल संख्या (एनआईसी दो डिजिट-वार) पंजीकृत उद्यमों की कुल संख्या से भिन्न हो सकती है। ये आंकड़े अलग हो सकते हैं चूंकि एक उद्यम एक से अधिक एनआईसी गतिविधि का चयन कर सकता है।

दिनांक 01/07/2020 से 23/07/2024 तक उद्यम और यूएपी के तहत पंजीकृत विनिर्माण वाली एमएसएमई की राज्य-वार कुल संख्या				
क्र.सं.	राज्य	उद्यम	यूएपी	कुल
1	अंडमान और निकोबार	2,361	236	2,597
2	आंध्र प्रदेश	1,86,508	94,692	2,81,200
3	हिमाचल प्रदेश	3,898	284	4,182
4	असम	1,56,428	34,715	1,91,143
5	बिहार	2,78,949	89,676	3,68,625
6	चंडीगढ़	7,074	577	7,651
7	छत्तीसगढ़	71,420	56,500	1,27,920
8	दिल्ली	1,94,173	15,549	2,09,722
9	गोवा	8,908	9,703	18,611
10	गुजरात	6,62,485	1,36,693	7,99,178
11	हरियाणा	2,19,811	33,214	2,53,025
12	हिमाचल प्रदेश	28,643	8,191	36,834
13	जम्मू और कश्मीर	1,14,510	82,963	1,97,473
14	झारखंड	91,001	45,229	1,36,230
15	कर्नाटक	3,78,268	2,31,539	6,09,807
16	केरल	1,74,095	1,10,824	2,84,919
17	लद्दाख	2,570	2,397	4,967
18	लक्षदीप	129	110	239
19	मध्य प्रदेश	2,75,101	1,23,322	3,98,423
20	महाराष्ट्र	10,17,041	1,58,127	11,75,168
21	मणिपुर	33,244	3,994	37,238
22	मेघालय	4,393	220	4,613
23	मिजोरम	5,122	277	5,399
24	नागालैंड	8,924	1,463	10,387
25	ओडिशा	1,84,285	68,969	2,53,254
26	पुडुचेरी	7,651	5,866	13,517
27	पंजाब	2,84,181	19,430	3,03,611
28	राजस्थान	5,66,754	1,10,095	6,76,849
29	सिक्किम	1,679	325	2,004
30	तमिलनाडु	7,92,692	1,32,990	9,25,682
31	तेलंगाना	1,98,156	35,478	2,33,634
32	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	5,395	204	5,599
33	त्रिपुरा	18,862	9,427	28,289
34	उत्तर प्रदेश	7,02,779	1,13,102	8,15,881
35	उत्तराखंड	54,143	12,762	66,905
36	पश्चिम बंगाल	2,98,289	1,70,814	4,69,103
कुल		**70,39,922**	**19,19,957**	**89,59,879**
रिपोर्ट की तारीख:- 23/07/2024 अपराह्न 01:20 बजे				